

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PARTII—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] No. 656] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 822(अ).— मजदूरी संदाय अधिनियम 1936(1936 का 4) की धारा 26 की उप-धारा (5) की अपेक्षानुसार कितपय प्रारूप नियम, अर्थात् मजदूरी संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 2009 भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 450(अ.)तारीख 29 जून, 2009 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना या उस राजपत्र में जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 जून, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और प्रस्तावित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) की धारा 26 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (3) खंड (झक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

#### नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्ष्प्ति नाम मजदूरी संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 2009 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(1)

4123 GI/2009

- 2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) अभिप्रेत है;
  - (ख) "कुटुम्ब" से किसी नियोजित व्यक्ति के निम्नलिखित सभी या कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात्:-
  - (i) पति या पत्नी;
  - ii) नियोजित व्यक्ति पर आश्रित अवयस्क बालकः
  - (iii) ऐसा बालक जो नियोजित व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः निर्भर है और जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक शिक्षा ग्रहण करता है;
  - (iv) अविवाहित पुत्री;
  - (v) ऐसा पुत्र अथवा पुत्री जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षित के कारण अशक्त है और जब तक अशक्तता रहती है तब तक वह नियोजित व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः निर्भर है;
  - (vi) आश्रित माता-पिता;
  - (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई प्रारूप अभिप्रेत है;
  - (घ) "अवयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजन के लिए "बालक" से दत्तक बालक अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है और "पुत्र" या "पुत्री" के किसी प्रतिनिर्देश का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

# 3. नाम निर्देशन की प्रक्रिया-

- (1) प्रत्येक नियोजित व्यक्ति, उस रकम को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए, जो उसकी मृत्यु की दशा में उसके खाते में जमा हो सकती है, उसके खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई है वहां संदाय किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप-।, में घोषणा करेगा।
- (2) यदि किसी नियोजित व्यक्ति का नामनिर्देशन करने के समय कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन पत्नी या पित के हक में अथवा अधिमानतः पत्नी या पित के हक में और उसके पश्चात् उसके कुटूम्ब के एक या अधिक सदस्यों के हक में किया जाएगाः

परन्तु ऐसे नियोजित व्यक्ति द्वारा जिसका कुटुम्ब है, अपने कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के हक में किया गया नामनिर्देशन अविधिमान्य होगाः

परन्तु यह और कि नियोजित व्यक्ति द्वारा अपने विवाह पर अपनी पत्नी या पति के हक में नया नामनिर्देशन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पूर्व किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य माना जाएगा।

(3) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अवयस्क के हक में है वहां नियोजित व्यक्ति उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशिती के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा या जहां कुटुम्ब में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है वहां पर अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशिती का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(4) यदि नियोजित व्यक्ति एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामनिर्देशन में अपने स्विविवेकानुसार अपने प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय रकम या अंश को विनिर्दिष्ट करेगा जिससे वह पूरी रकम जो उसके खाते में जमा है, पूरी तरह बंट सके ।

[फा. सं. एस-31012/1/2008-डब्ल्यूसी (पीडब्ल्यू)] डॉ. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

# प्ररूप-1 नामनिर्देशन ओर घोषणा प्ररूप (नियम 3 देखे)

- नामनिर्देशन करने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट शब्दों में)
- 2. पिता /पति का नाम
- 3. जन्म की तारीख
- 4. लिंग
- 5. वैवाहिक प्रास्थिति -
- 6. पता स्थायीः

### अस्थायी:

मैं व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करता हूँ/अपने द्वारा पूर्व में किए गए नामनिर्देशन को रह करता हूँ और मेरी मृत्यु की दशा में, नीचे निर्दिष्ट व्यक्तियों को नियोजक से मुझको शोध्य किसी रकम को प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित करता हूँ ।

				अंश की कुल रकम	अवयस्कता के दौरान रकम प्राप्त क्र सकेगा, का नाम, नातेदारी और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और यदि मैं तत्पश्चात् कोई कुटुम्ब अर्जित करता हैं तो उपरोक्त नामनिर्देशन को रद समझा जाए।
- 2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे माता/पिता मुझ पर निर्भर है/हैं ।
- 3. जो लागू न हो उसे काट दें।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

# नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा और नामनिर्देशन पर मेरे स्थापन में नियोजित श्री/श्रीमती/ कु.----- द्वारा उसके प्रविष्टि/प्रविष्टयों को पढ़ने /मेरे द्वारा उसको सुनाने और उसे पुष्टि कराने के पश्चात् मेरे समक्ष, हस्ताक्षर किए गए हैं/ अंगूठा लगाया गया है।

नियोजक या स्थापना के अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान:

तारीख:

कारखाने /स्थापना का नाम और पता और उसकी रबर स्टांप

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2009

G.S.R. 822(E).—Whereas certain draft rules namely the Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009, were published as required by sub-section (5) of section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 450(E), dated the 29<sup>th</sup> June, 2009, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 29th June, 2009;

And whereas, suggestions received in respect of the proposed draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (2) read with clause (Ia) of sub-section (3) of section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

#### RULES

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Act" means the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936);
- (b) "family" means all or any of the following relatives of an employed person, namely:-
- (i) a spouse;
- (ii) a minor child dependant upon the employed person;
- (iii) a child who is wholly dependent on the earnings of the employed person and who is receiving education, till he or she attains the age of twenty-one years;

41239109-2

- (iv) an unmarried daughter;
- (v) a son or daughter who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependant on the earnings of the employed person, so long as the infirmity continues;
- (vi) dependant parents;
- (c) "Form" means a form appended to these rules;
- (d) "minor" means a person who has not completed the age of eighteen years.

**Explanation.** - For the purpose of this rule, "child" means and includes an adopted child, and any reference to "son" or "daughter" shall be construed accordingly.

#### 3. Procedure for nomination. -

- (1) Every employed person shall make a declaration in Form I, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.
- (2) If an employed person has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family:

Provided that nomination made by an employed person having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid:

Provided further that a fresh nomination towards his/her spouse shall be made by the employed person on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

- (3) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employed person may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.
- (4) If the employed person nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

[F. No. S-31012/1/2008-WC (PW)]
Dr. HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

# FORM - I

# NOMINATION AND DECLARATION FORM

(See rule 3)

- Name of person making nomination
   Marital Status
- 2. Father's/Husband's name 6. Address

Permanent:

Temporary:

- 3. Date of Birth
- 4. Sex

I hereby nominate the person(s)/ cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer, in the event to my death.

Name of the nominee/nominees	Address	Nominee's relationship with the member	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.6 a *			

- 1. Certified that I have no family and should I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.
- 2. \*Certified that my father/mother is/are dependent upon me.
- 3. \*Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employed person.

#### CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt./Kum employed in my establishment after he/she has read the entry/entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/ Establishment and rubber stamp thereof